जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

विधिक सेवा के आयाम

Nari chetna

-: सरलीकरण एवं संकलनकर्ता :-

मनीष कुमार वैष्णव (R.J.S.)

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

राजसमन्द

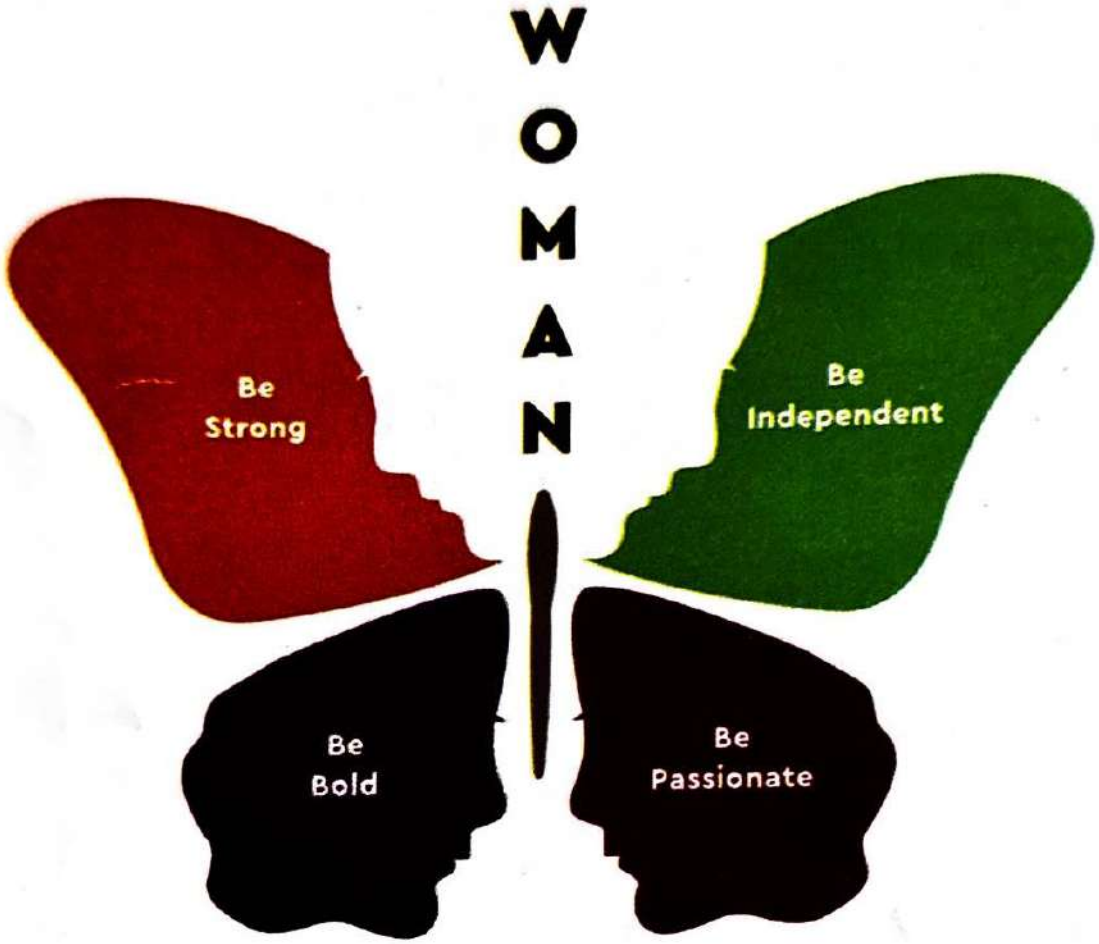

महिलाओं की सहायता हेतु हेल्पलाईन नम्बर

1. वीमन पॉवर लाईन नंबर – 1090
2. महिलाओं के साथ अपराध पर कानूनी सहायता – 1091
3. सी. एम. हेल्पलाईन – 181
4. चाईल्डलाईन – 1098
5. पुलिस सहायता – 100

आलोक सुरोलिया

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमंद

आमुख

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों की संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने के लिए **'विधिक सेवा के आयाम – नारी चेतना'** नामक पुस्तक का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पुस्तक के माध्यम से महिलाओं से संबंधित सामान्य कानून की जानकारी आमजन तक सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास किया गया है। पुस्तक के प्रकाशन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनीष कुमार वैष्णव द्वारा विषय को चुनने व प्रत्येक बिंन्दु पर पुस्तक के माध्यम से जानकारी संकलन करने के लिए किये गए प्रयासों की व राजसमंद जिले में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण द्वारा प्रदान किये गये सहयोग की भी मैं प्रशंसा करता हूं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार विधिक साक्षरता व विधि के प्रति जन जागरूकता उत्पन्न करने के अथक प्रयास किये जा रहे हैं इस उद्देश्य की पूर्ति में यह पुस्तक अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होगी।

यह पुस्तक महिलाओं से संबंधित कानून के लिए जन जागृति उत्पन्न करने के उद्देश्य की प्राप्ति में सफल रहे इसी कामना के साथ मैं पुस्तक के प्रकाशन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।

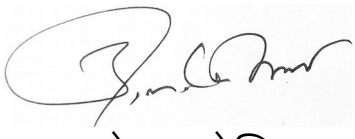

आलोक सुरोलिया

मनीष कुमार वैष्णव

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमंद

संदेश

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमंद द्वारा महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी महिलाओं तक पहुंचाने और आमजन में महिलाओं से संबंधित कानूनों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजसमंद श्री आलोक सुरोलिया के मार्गदर्शन में ''**विधिक सेवा के आयाम - नारी चेतना**'' नामक पुस्तक को तैयार किया गया है। इस पुस्तक के माध्यम से आम महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के क्रम में पॉक्सो एक्ट, विवाह विच्छेद एवं भरण पोषण, महिलाओं को प्राप्त संपत्ति का अधिकार, यौन अपराध, कन्या भ्रूण हत्या, मातृत्व अवकाश, डायन प्रताड़ना अधिनियम, सती निवारण अधिनियम आदि कानूनी प्रावधान को सहज एवं सरल रूप से उन तक पहुचाने में यह पुस्तक मील का पत्थर साबित होगी।

नारी चेतना पुस्तक निश्चित रूप से नारी जगत में चेतना की एक मिसाल स्थापित होगी एवं वांछित महिलाओं तक जिला विधिक सेवा प्राध्रिकण के प्रकल्पों को संवाहित करने में एक सशक्त सेतु के रूप में स्थापित होगी। इस पुस्तक के प्रकाशन में सहयोग प्रदान करने के लिए मैं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमंद सहित जिले में पदस्थापित समस्त न्यायिक अधिकारीगण का आभार व्यक्त करता हूं साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की टीम जिन्होंने इस पुस्तक को तैयार करने में सहयोग प्रदान किया उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं।

मनीष कुमार वैष्णव

1. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत पीड़ित बालकों के अधिकार -

बालकों के उचित विकास, उनकी निजता व गोपनीयता बनाए रखने के लिए, बालकों के लैंगिक शोषण और लैंगिक दुरूपयोग जैसे जघन्य अपराधों के लिए कठोर दंड का प्रावधान करने के लिए, लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों को संरक्षण देने के लिए, बालकों के अच्छे शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास को सुनिश्चित कर प्रत्येक प्रक्रम पर उनके सर्वोत्तम हित व कल्याण के लिए एवं विशेष न्यायालय बनाने व प्रकरण के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य के लिए,लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 बनाया गया है। इस अधिनियम के अनुसार बालक और बालिका दोनों यौन शौषण के शिकार हो सकते हैं और पीड़ित के लिंग की परवाह किए बिना ऐसा दुर्व्यवहार अपराध है। यह अधिनियम सभी बालकों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से सुरक्षा का अधिकार प्रदान करता है।

इस अधिनियम में पीड़ित/आहत बालक के कल्याण व सुरक्षा के लिए बालक की निजता की सुरक्षा, पहचान नहीं बताने, बालक के बयान बालक के निवास पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा सादा वर्दी में लेने , बालक अभियुक्त के संपर्क में नहीं आवे उसे देख नहीं पाये यह सुनिश्चित करने, अनुसंधान के पश्चात नतीजे की प्रति बालक या अभिभावक को देने, मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के माता-पिता या परिवारजन की उपस्थिति में चिकित्सकीय परीक्षण, न्यायालय में बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण तैयार करने, प्रतिकर अदा करने, बालक को सुरक्षा प्रदान करने सम्बन्धी प्रावधान किये गये हैं।

इस प्रकार के अपराध होने पर अभिभावक बदनामी के डर के कारण रिपोर्ट दर्ज कराने में संकोच करते हैं उस संकोच व डर को मिटाने के लिए इस अधिनियम में बालक की पहचान गुप्त रखने, बालकों की निजता के लिए मीडिया, समाचार पत्र में बालक की पहचान नहीं बताने जैसे प्रावधान किये गये हैं इसके उल्लंघन पर इस अधिनियम में दंड के प्रावधान भी है।

उक्त पोक्सो अधिनियम, 2012 एवं वर्ष 2020 में बनाये गये लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम के तहत **लैंगिक अपराधों में पीड़ित बालकों को निम्न अधिकार प्रदान किये गये हैं -**

इन नियमों के नियम 9 के तहत विशेष अदालत को एफ आई आर दर्ज होने के बाद पीड़ित बालक के लिए राहत या पुनर्वास से संबंधित जरूरतों हेतु अंतरिम प्रतिकर का आदेश देने की अनुमति देता है। यह प्रतिकर अंतिम प्रतिकर के विरूद्ध समायोजित किया जाता है।

पोक्सो नियम बाल कल्याण समिति को जांच और परीक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चे की सहायता के लिए एक सहायक व्यक्ति प्रदान करने का अधिकार देता है।

- सहायता करने वाला व्यक्ति बच्चे के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है जिसमें शारीरिक, भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण, चिकित्सा, देखभाल, परामर्श तथा शिक्षा तक पहुंच शामिल है। वह बच्चे एवं उसके माता-पिता या अभिभावकों को मामले से संबंधित अदालती कार्यवाही और प्रगति के बारे में भी सूचित करेगा।
- अधिनियम में बालक के निवास या पसंद के स्थान पर एक महिला उपनिरीक्षक द्वारा प्रभावित बच्चे का बयान दर्ज करने का प्रावधान है।

- रात्रि में किसी भी बच्चे को किसी भी कारण से थाने में नहीं रोका जाएगा।
- बच्चे का बयान बच्चे द्वारा बोले गये तरीके से ही दर्ज किया जाएगा।
- बच्चे की आवश्यकतानुसार दुभाषिया या अनुवादक या विशेषज्ञ की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- यदि बच्चा विकलांग है तो विशेष शिक्षक या बच्चे के संचार के तरीके से परिचित किसी व्यक्ति की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।
- बच्चे की चिकित्सकीय जांच बच्चे के माता-पिता या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में की जानी चाहिए जिस पर बच्चे को भरोसा हो।
- यदि पीड़ित बालक लड़की हो तो महिला चिकित्सक से चिकित्सकीय परीक्षण कराया जाएगा।
- एफ.आई.आर. की प्रति नि:शुल्क प्राप्त करना।
- पुलिस से पर्याप्त सुरक्षा और संरक्षण प्राप्त करना।
- सिविल अस्पताल/पीएचसी, आदि से शीघ्र और नि :शुल्क चिकित्सकीय परीक्षण प्राप्त करना।
- जब अपराध घर या संयुक्त परिवार में हुआ हो जहां बालक का किसी व्यक्ति की निगरानी से भरोसा उठ गया हो, वहां से बाल देख-रेख संस्थान में स्थानांतरित होना।
- सी.डब्ल्यू.सी. की सिफारिश पर तत्काल सहायता और मदद पाना।
- मुकदमे के दौरान और अन्यथा आरोपियों से दूर रखा जाना।
- नि:शुल्क विधिक सहायता पाना।
- शिक्षा जारी रखना।
- निजता और गोपनीयता।
- जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक सहित सम्पूर्ण की सूची पाना।

सुनील कुमार पंचोली
विशिष्ट न्यायाधीश, पॉक्सो कोर्ट
राजसमन्द

.....

2. विवाह विच्छेद

हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 में विवाह विच्छेद का प्रावधान किया गया है जिसमें 7 आधार व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, धर्मांतरण, पागलपन, कुष्ठ रोग, यौन रोग और संन्यास पर पति व पत्नी दोनों तथा अतिरिक्त चार आधार बलात्कार , समलैंगिकता, व्यभिचार, भरण–पोषण के आदेश के बाद फिर से सहवास न करना और भरण–पोषण के लिये डिक्री पर पत्नी अकेले विवाह विच्छेद का मुकदमा क्षेत्राधिकारिता वाले जिला न्यायालय में दायर कर सकती है। न्यायालय विवाह को तभी भंग करता है जब दंपति के बीच सुलह की बिलकुल भी गुंजाइश न रहे।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी में आपसी सहमति से विवाह के एक वर्ष पश्चात् विवाह विच्छेद प्राप्त करने का प्रावधान है, जिसके तहत विवाह के दोनों पक्ष इस

आधार पर कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग–अलग रह रहे हैं तथा एक साथ रहने की संभावना नहीं हैं और पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि उनके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिये तब वे आपसी सहमति के आधार पर पारिवारिक न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं न्यायालय अपने सामने दोनों के बयान लेता है तथा दोनों को रिश्ता बचाने को लेकर विचार करने के लिए छह महीने का वक्त देती है, दोनों के बीच सुलह नहीं होने पर न्यायालय विवाह विच्छेद की डिक्री पारित करता है।

3. भरण–पोषण –

धारा 125 के प्रावधान किसी भी पर्याप्त साधनों वाले व्यक्ति पर नैतिक, विधिक व सामाजिक दायित्व अधिरोपित करते है कि वह अपनी पत्नी, अवयस्क बच्चों, माता–पिता का भरण–पोषण करे जो स्वयं का भरण–पोषण करने में असमर्थ हैं। इस धारा का मुख्य उदद्वेश्य समाज में भूखमरी फेलने से रोकना व इससे उत्पन्न अपराधों के संबंध में त्वरित एवं संक्षिप्त कार्यवाही कर उपचार उपलब्ध कराना है। इस धारा के प्रावधान धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के है, जो सभी पर समान रूप से लागू होते है। हिन्दू विधि के स्मृतिकार मनू ने कहा है कि ''वे सौ अपकार करके भी अपने माता–पिता, अवयस्क बच्चों व पत्नी का भरण–पोषण करें।'' भरण–पोषण की ऐसी व्यवस्था हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 24, 25/घरेलू हिंसा अधिनियम/मुस्लिम विवाह अधिनियम/विशेष विवाह अधिनियम 1954 की धारा 36, 37 व हिन्दू दतक व भरण–पोषण अधिनियम की धारा 18–20 में भी की गई है। इस प्रावधान में 'भरण–पोषण' के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास सम्बंधी सुविधाएं भी शामिल हैं।

यह प्रावधान उक्त परिधि में आने वाले पात्र व्यक्ति, एक पत्नी अपने पति के विरूद्ध, माता–पिता अपनी वयस्क संतान के विरूद्ध तथा अवयस्क वैध या अवैध संतान अपने माता–पिता के विरूद्ध भरण–पोषण की मांग कर सकते हैं।

एक अवयस्क पुत्री यदि वह विवाहित है तो अपने माता–पिता के विरूद्ध उक्त मांग नहीं कर सकती है। परन्तु एक वयस्क पुत्री, जो कि अविवाहित है, यदि वह शारीरिक या मानसिक असामन्यता या क्षति के कारण अपना भरण–पोषण करने में असमर्थ है तो वह इस प्रावधान के तहत माता–पिता के विरूद्ध भरण–पोषण की मांग हेतु आवेदन कर सकती है।

महिला जो कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है धारा 125 दण्ड प्रक्रिया के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है क्योंकि धारा 125 दं.प्रं.सं. के तहत भरण पोषण प्राप्त करने हेतु महिला का विधिक रूप से विवाहित होना आवश्यक है। नाता विवाह को यदि किसी समुदाय के स्थानीय प्रथा द्वारा मान्यता दी गई है तथा उक्त विवाह पक्षकारान के मध्य प्रचलित स्थानीय रिति–रिवाजों से सम्पन्न हुआ है तो उस महिला को विधिक रूप से विवाहित मानते हुए धारा 125 दं.प्रं.सं. के तहत भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारी है, इस सम्बंध मे निम्न सम्मानीय न्यायिक विनिश्चय महत्वपूर्ण हैः–

चनमुनिया बनाम विरेन्द्र कुमार सिंह कुशवाहा एआईआर 2010

घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम, 2005– आज भी महिलाएं बड़ी संख्या में घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं। वर्ष 2005 में घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम में महिलाओं को घर के अंदर सुरक्षा का अधिकार, निवास का अधिकार जैसी राहतों को शामिल किया गया है।

धारा 20 आर्थिक सहायता (1) धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन का निपटारा करते समय मजिस्ट्रेट पीडित महिला व उसके बच्चों को आजीविका की हानि, चिकित्सकीय व्यय, सम्पत्ति के नुकसान और संपति से हटाए जाने के कारण हुई क्षति की पूर्ति का आदेश दे सकता। उक्त राशि व्यथित व्यक्ति को सीधे ही संदत करने या न्यायालय में जमा कराने का निर्देश दे सकेगा।

सन्तोष कुमार मित्तल
न्यायाधीश,पारिवारिक न्यायालय
राजसमन्द

.....

4. कानून में महिलाओं को प्राप्त सम्पत्ति के अधिकार -

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एक स्त्री जिसके पिता की बिना वसीयत किए मृत्यु हो गई है वह अपने पिता की सम्पत्ति में अपने भाईयों के समान सम्पत्ति में बराबर हक रखती है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून में संशोधन हुआ इसके बाद बेटी को पैतृक संपत्ति में जन्म से ही साझेदार बना दिया गया। बेटियों को इस बात का भी अधिकार दिया गया कि वह कृषि भूमि का बंटवारा करवा सकती है। साथ ही शादी टूटने की स्थिति में वह पिता के घर जाकर बेटे के समान बराबरी का दर्जा पाते हुए रह सकती है यानी पिता के घर में भी उसका उतना ही अधिकार होगा जितना बेटे को है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकार और सहदायिकी (संयुक्त कानूनी उत्तराधिकार) अधिकार का विस्तार किया है। यह निर्णय हिंदू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम 2005 से संबंधित है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, एक हिंदू महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है, यह इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित हैं या नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में किये गए संशोधनों से इसका विस्तार किया गया। इन संशोधनों के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया। अगर किसी महिला ने अपने पैसों से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है तो वह सिर्फ उसकी ही प्रॉपर्टी होगी और वह जब चाहें अपनी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बेच सकती है। अगर पति और पत्नी एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो अगर प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में नाम पत्नी का है तो पत्नी का उस पर पूरा हक होता है।

माँ का संपत्ति पर अधिकार -

माँ को अपने मृत बेटे की संपत्ति में उतना ही अधिकार होता हैं जितना कि उसकी पत्नी व बच्चो को होता हैं। अगर पिता की मृत्यु के बाद बच्चे परिवार की संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, तो माँ भी अपने प्रत्येक बच्चे के समान ही संपत्ति में हकदार होती है।

दूसरी पत्नी का संपत्ति पर अधिकार -

हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में बहुविवाह को अवैध माना गया हैं तथा कोई व्यक्ति एक समय में एक से अधिक पत्नी नहीं रख सकता है। अगर पुरूष पत्नी की मृत्यु या विवाह विच्छेद के बाद पुर्नविवाह करता हैं तो दूसरी पत्नी उसकी संपत्ति की वारिस होती हैं। अगर ऐसा नहीं हैं तो दूसरी पत्नी मृत व्यक्ति की संपत्ति की हकदार नहीं हैं।

तलाकशुदा महिला का संपत्ति पर अधिकार -

तलाकशुदा महिला का उसके पूर्व पति की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता हैं। औपचारिक विवाह विच्छेद के बिना अलग होने की स्थिति में पत्नी तथा बच्चे पुरूष की संपत्ति पर हकदार हैं। चाहे उसने पुनर्विवाह किया हो या ना किया हो। अगर संपत्ति पत्नी के नाम पर पंजीकृत हैं, तो कानून उसे मालिक के तौर पर मान्यता देता हैं अगर संपत्ति दोनो ने मिलकर खरीदी हैं, तो पत्नी को खरीदे में अपना योगदान साबित करना होता हैं। इसके पश्चात ही व महिलाओं के लिए संपत्ति कानूनो के अनुसार, ऐसी संपत्ति में अपने योगदान जितना हिस्सा देने की हकदार होगी।

सुरेन्द्र कुमार पुरोहित
न्यायाधीश, मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
राजसमन्द

.....

5. अपराध से पी़डित महिला को प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार -

अपराध के परिणामस्वरूप पी़डित या उसके आश्रित को प्रतिकर प्रदान करने के लिए राजस्थान पी़डित प्रतिकर स्कीम 2011 बनाई गई है तत्पश्चात् वर्ष 2023 में राज्य सरकार द्वारा इसमें अध्याय 2 जोड़ा गया जो अपराध से पी़डित महिलाओं और यौन अपराध से पी़डित बालकों के लिए प्रतिकर प्रदान करने से संबंधित है। यदि किसी महिला की हत्या की जाती है, अपराध के परिणामस्वरूप उसके शरीर को स्थायी निर्योग्यता होती है, किसी महिला के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, अप्राकृतिक मैथुन, बलात्कार के परिणामस्वरूप गर्भवती होने ,महिला को जलाकर शारीरिक क्षति करने, एसिड अटैक से संबंधित मामलों में अपराध की प्रकृति के अनुसार इस स्कीम में एक लाख से दस लाख रूपये तक की प्रतिकर राशि प्रदान की जाती है। प्रतिकर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , तालुका विधिक सेवा समिति अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है, प्रतिकर अदायगी के लिए संबंधित पुलिस थाने व न्यायालय की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रार्थना पत्र पर विचार कर उचित प्रतिकर प्रदान करती है। उक्त प्रतिकर प्राप्त करने के लिए प्रार्थी/पी़डित महिला को किसी भी प्रकार की फीस अदा करने की आवश्यकता नहीं होती है, प्रतिकर हेतु आवेदन पत्र भी मुफ्त में उपलब्ध करवाया जाता है और प्राधिकरण द्वारा उचित सहायता भी प्रदान की जाती है। प्रतिकर प्राप्त करने के लिए नाल्सा लीगल सर्विस एप के माध्यम से ऑनलाईन भी आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए नाल्सा हेल्पलाईन 15100 अथवा रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाईन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है। यदि प्रकरण

बालकों के साथ लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित है तो ऐसे मामलों में विशिष्ट न्यायालय द्वारा प्रतिकर की राशि तय की जाती है, जिसका भुगतान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

एसिड अटैक के कारण किसी को हुई क्षति के संबंध में – प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से एक लाख रूपये तक की राशि प्रदान करने के प्रावधान हैं। इसके अलावा प्रतिकर हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लक्ष्मी बनाम भारत संघ दांडिक रिट पिटीशन क्रमांक 129/2006 आदेश दिनांक 10.04.15 में प्रदान किये गये आदेश अनुसार प्रतिकर का निर्धारण क्रिमीनल इंज्यूरी कंपनसेशन बोर्ड द्वारा जिसमें जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जिला मजिस्ट्रेट, जिला पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन/जिले का सी.एम.ओ. द्वारा किया जावेगा।

6. महिलाओं को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार – विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के नियम 12 के तहत प्रत्येक ऐसी महिला जिसे न्यायालय में कोई मामला प्रस्तुत करना है अथवा उसके विरूद्ध प्रस्तुत किये गये किसी मामले में प्रतिरक्षा करनी है तब वह नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता रखती है। ऐसी महिला को नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है। ऐसे प्रार्थना पत्र पर विचार करने के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसी महिला को उक्त मामले में पैरवी करने के लिए नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाती है। नि:शुल्क विधिक सहायता में प्राधिकरण अधिवक्ता उपलब्ध करवाने सहित कोर्ट फीस और विविध खर्चों का भुगतान भी करता है। नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए नाल्सा हेल्पलाईन 15100 अथवा रालसा व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की हेल्पलाईन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

7. वन स्टॉप सेंटर –

सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस-डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउन्सलिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर वन स्टॉप सेन्टर स्थापित किए गए है। सेंटर के माध्यम से एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदान किया जाता है तथा उन्हें तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें जैसे-चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श इत्यादि भी उपलब्ध करवाया जाता है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर आर.के. जिला चिकित्सालय में वन स्टॉप सेंटर संचालित है।

8. नारी निकेतन -

अनाथ, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुर्नवास के लिए नारी निकेतनों का संचालन किया गया है। नारी निकेतन संस्था में इन महिलाओं के निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण और पुर्नवास की व्यवस्था की जाती है। सरपंच, नगरीय निकाय, विधायक, सांसद पंजीकृत

स्वयंसेवी संस्थाओं के अध्यक्ष द्वारा महिला की आश्रय विहीनता संबंधी प्रमाण पत्र देने पर कलेक्टर की अध्यक्षता में संबंधित नारी निकेतन संस्था में प्रवेश दिया जाता है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष नारी निकेतन योजना से ज्यादा से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित होती हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि 16 वर्ष से ज्यादा उम्र की अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओंविधवाओं, परित्यक्ताओं, तिरस्कृत व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करना है। निकेतन में प्रवेश या किसी भी तरह की और अधिक जानकारी के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, नारी निकेतन संस्था की अधीक्षिका एवं आवश्यकतानुसार कलेक्टर से संपर्क किया जा सकता है।

मनीष कुमार वैष्णव
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
राजसमन्द

.....

9. भारत के संविधान में महिलाओ को प्राप्त संवैधानिक अधिकार -

संविधान की प्रस्तावना - संवैधानिक कानून के तहत महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं ताकि वे देश के प्रशासन में प्रभावी ढंग से भाग ले सकें।

कानून के समक्ष समानता - अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण के सामान्य सिद्धांतों का प्रतीक है।

धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक - अनुच्छेद 15(1) और (2) राज्य को किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक या अधिक पहलुओं के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। अनुच्छेद 15(3) राज्य के लिए महिलाओं और बच्चों के हितों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान बनाना संभव बनाता है। अनुच्छेद 15(4) राज्य को समाज के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था बनाने की शक्ति देता है।

अवसर की समानता - अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है।

अनुच्छेद 39 राज्य पर पुरुषों और महिलाओं के लिए समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्मित करने के दायित्व को अधिरोपित करता है [अनुच्छेद 39(ए)]: और पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन के बाबत विधि निर्माण करने का दायित्व अधिरोपित करता है [अनुच्छेद 39(डी)].

अनुच्छेद 39ए राज्य को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने और उपयुक्त कानून या योजना या किसी अन्य तरीके से निशुल्क विधिक सहायता को बढ़ावा देने का निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आर्थिक या अन्य कारणों से किसी भी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित न किया जाए।

कार्यस्थल पर मानवीय स्थितियाँ –

अनुच्छेद 42 राज्य को न्याय और काम की मानवीय स्थितियाँ सुनिश्चित करने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है।

मूल कर्तव्य – अनुच्छेद 51ए (ई) प्रत्येक नागरिक को महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं को त्यागने का निर्देश देता है।

पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण – अनुच्छेद 243 डी (3) और अनुच्छेद 243 टी (3) महिलाओं के लिए पंचायतों और नगर पालिकाओं में सीटों की कुल संख्या का कम से कम एक तिहाई आरक्षण अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन द्वारा आवंटित करने का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 243 डी(4) टी(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक स्तर पर पंचायत और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के अधिकारियों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

मतदान अधिकार/चुनावी कानून - महिलाओं के लिए एक तिहाई से कम सीटें आरक्षित नहीं होंगी। ऐसी सीटें किसी पंचायत के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चक्रानुक्रम द्वारा आवंटित की जा सकती हैं। गाँव या किसी अन्य स्तर पर पंचायत में अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए उस तरीके से आरक्षित किया जाएगा जैसा कि राज्य की विधायिका कानून द्वारा प्रदान कर सकती है।

नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है।

पवन जीनवाल
विशिष्ट न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी. एक्ट
राजसमन्द

.....

10. महिलाओं के प्रति यौन अपराध के प्रकार एवं उपलब्ध उपचार -

यौन अपराध क्या हैं - यौन अपराध हमारे समाज में विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा किये जाने वाला ऐसा कार्य है, जो समाज को दूषित करता है जिसमें किसी की इच्छा व सहमति के बिना किसी दबाव में की गई यौन गतिविधि को यौन अपराध कहते हैं।

यौन अपराध के प्रकार व गतिविधियां– यौन अपराध एवं इसमें शामिल कई गतिविधियां जो मौखिक, गौर मौखिक दृश्य या शारीरिक हो सकती है। भारतीय दंड संहिता व अन्य अधिनियमों में महिलाओं के विरूद्ध जो अपराध बताए गए हैं उनमें बलात्कार , जबरन गुदा मैथुन (एनल सेक्स), ओरल सेक्स, वैवाहिक बलात्कार, किसी की मर्जी के बिना गलत तरह से छूना, बच्चों के साथ यौन संपर्क बनाना, यौन शोषण, इंटरनेट पर बच्चों को यौन क्रियाओं के लिए उक्साना, बच्चों के साथ अश्लीलता इत्यादि आते हैं।

यौन अपराध से संबंधित महिलाओं के अधिकार– सुरक्षित कार्यस्थल का अधिकार, शिकायत दर्ज कराने का अधिकार, पहचान गोपनीय रखे जाने का अधिकार, प्रतिशोध से सुरक्षा का अधिकार, कानूनी कार्यवाही का अधिकार, उत्पीड़न शिक्षा का अधिकार प्राप्त है।

किसी भी महिला के साथ बलात्कार, छेड़छाड़ या लैंगिक उत्पीड़न की परिधि में आने वाली कोई घटना घटित होती है तो ऐसी घटना की सूचना निकटतम पुलिस थाने में उस महिला, उसके परिजन या किसी भी व्यक्ति द्वारा दी जा सकती है। ऐसे मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट सुसंगत धाराओं के तहत दर्ज की जाएगी सूचना महिला द्वारा स्वयं मौखिक देने पर महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लेखबद्ध की जाएगी।

जितेन्द्र गोयल
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

.....

11. कन्या भ्रूण हत्या एवं गर्भ का चिकित्सकीय समापन

कन्या भ्रूण हत्या मानवता और विशेष रूप से समूची स्त्री जाति के विरुद्ध जघन्य अपराध है। बेटे की इच्छा, और दहेज प्रथा ने समाज में ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहां बेटी का जन्म किसी भी कीमत पर रोका जाता है और लोग मां के गर्भ में ही कन्या की हत्या करने का गंभीर अपराध करते हैं।

कन्या भ्रूण हत्या के कारण – बालिका शिशु पर बालक शिशु की प्राथमिकता, दहेज व्यवस्था, पुरातनवादी सोच कि पुत्र ही परिवार का वंश जारी रखते हैं, गैर कानूनी लिंग परीक्षण इत्यादि।

कन्या भ्रूण हत्या को रोकने व समाज में स्त्री पुरुष में बढ़ते लिंगानुपात में संतुलन स्थापित किये जाने हेतु संसद द्वारा "लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, 1994 पारित किया गया, परन्तु कानून का अपेक्षित प्रभाव न होने व उल्लंघन होने पर वर्ष 2002" व वर्ष 2023" में संशोधन किया गया।

अधिनियम के प्रावधान निम्न हैं - सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं का अनिवार्य पंजीकरण, अल्ट्रासाउंड के उपकरण केवल पंजीकृत प्रयोगशालाओं को बेचने, मशीनों और उपकरणों के पंजीकृत निर्माताओं द्वारा सरकार को तीन महीने में एक बार उपकरण के क्रेताओं की सूची व हलफनामा देना कि वह उपकरणों का प्रयोग भ्रूण के लिंग चयन के लिए नहीं करेंगे , अल्ट्रासाउंड परीक्षणों का पूर्ण विवरण रखना यथा गर्भवती स्त्री का नाम, चिकित्सक का नाम, और परीक्षण की आवश्यकता के कारण सहित।

दंड -

- लिंग चयन या लिंग का पूर्व निर्धारण की सेवा देने वाले विज्ञापनों का प्रकाशन दण्डनीय है, जिसके उल्लंघन पर तीन वर्ष तक के कारावास और दस हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
- अधिनियम के उल्लंघन में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रा सोनोग्राफी करने वाले चिकित्सक व लैबकर्मी को तीन से पांच साल तक की सजा और दस से पचास हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।
- अजन्मे बच्चे का लिंग निर्धारण करना, गर्भवती को लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए मजबूर करना, लिंग चयन की प्रक्रिया में सुविधा या सहयोग प्रदान करना, चिकित्सक द्वारा

गर्भवती महिला या अन्य व्यक्ति को अजन्मे बच्चे के लिंग के बारे में सूचित करना आदि समस्त कृत्य दण्डनीय हैं।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन - जहां एक ओर भ्रूण हत्या को अपराध घोषित किया गया है, वहीं दूसरी ओर महिलाओं द्वारा गर्भपात की कानूनी वैधताओं की मांग के मद्देनजर महिलाओं के प्रजनन अधिकार व मानवाधिकार के मुद्दे पर 1971 में संसद में "गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 पारित हुआ।

निम्न दशाओं में किसी महिला को गर्भपात की अनुमति दी जा सकती है - यदि गर्भ को जारी रखने से महिला को गंभीर रोग हो सकता हो अथवा जीवन को खतरा हो। यदि गर्भावस्था के जारी रहने पर नवजात शिशु के लिए जोखिम हो सकता है और इससे गम्भीर मानसिक/बौद्धिक विकलांगता उत्पन्न हो सकती है। यदि बलात्कार के कारण गर्भ ठहरा हो व मां आर्थिक और सामाजिक दशाओं के मद्देनजर स्वस्थ शिशु को जन्म न दे सकती हो या जहां गर्भ निरोधक उपकरण की असफलता से गर्भ धारण हुआ हो।

गर्भपात के पूर्व स्त्री रोग विशेषज्ञ की सलाह आवश्यक है। यदि गर्भ 12 हफ्ते से अधिक व 24 हफ्तों से अनधिक का है तो दो पंजीकृत चिकित्सक की सलाह आवश्यक है। गर्भपात के लिए महिला की स्वतंत्र सहमति आवश्यक है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की व मानसिक रूप से अस्थिर महिलाओं के संबंध में उनके अभिभावकों की सहमति आवश्यक है। अधिनियम के प्रावधानानुसार केवल सरकारी लाईसेंस प्राप्त केन्द्रों पर ही गर्भपात कराया जा सकता है।

श्रीमती गीता पाठक
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द

.....

12. दहेज प्रथा एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम -

भारत में दहेज प्रथा -

दहेज एक सामाजिक बुराई है जिसके कारण समाज में महिलाओं के प्रति अकल्पनीय यातनाएं और अपराध उत्पन्न हुए हैं तथा भारतीय वैवाहिक व्यवस्था दूषित हुई है। दहेज शादी के समय दुल्हन के ससुराल वालों को लड़की के परिवार द्वारा नकद या वस्तु के रूप में किया जाने वाला भुगतान है। हालांकि इस समस्या की सामाजिक प्रकृति के कारण यह कानून हमारे समाज में वांछित परिणाम देने में विफल रहा है। इस समस्या से छुटकारा पाने में लोगों की सामाजिक और नैतिक चेतना को प्रभावी बनाना, महिलाओं को शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करना एवं दहेज प्रथा के खिलाफ कानून को प्रभावी ढंग से लागू करना मददगार हो सकता है।

दहेज प्रथा का प्रभाव -

- लैगिंक भेदभाव,
- महिलाओं के केरियर को प्रभावित करना,
- कई महिलाएं अविवाहित रह जाती हैं,

- महिलाओं का वस्तुकरण,
- महिलाओं के विरूद्ध अपराध,

विधायिका द्वारा समय समय पर दहेज प्रथा को समाप्त करने हेतु कानून बनए गए हैं जिसमें दहेज प्रतिषेध अधिनयम 1961 एक महत्वपूर्ण कानून है जो नारी को दहेज प्रथा के कारण होने वाले अत्याचारों से बचाता है।

दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार - विवाह के समय या उससे पूर्व विवाह के एक पक्षकार या परिजन द्वारा दूसरे पक्ष या परिजन को विवाह के संबंध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार की राशि या संपत्ति प्रदान करने के लिए सहमत होना दहेज की श्रेणी में आता है, किन्तु इसमें मुस्लिम विवाह के समय तय मेहर राशि सम्मिलित नहीं है।

दंड– धारा 3 के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा दहेज लेने, देने दुष्प्रेरित करने पर पांच वर्ष के कारावास व पन्द्रह हजार रूपए जुर्माने या ऐसे दहेज के मूल्य की रकम तक से दण्डनीय होगा। इस अधिनियम में सभी अपराध संज्ञेय, अजमानतीय, अशमनीय है तथा प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय को है।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के तहत भी निम्न प्रावधान किए गए हैं - यदि किसी स्त्री के साथ उसका पति या पति का नातेदार जानबूझकर अपने आचरण से उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करे या उस आचरण से स्त्री को मानसिक या शारीरिक क्षति की संभावना हो अथवा ऐसी स्त्री या उसका रिश्तेदार को धन या संपत्ति की मांग पूरी नहीं करने के कारण तंग या परेशान करता है, तब वह क्रूरता कहलाती है और ऐसी क्रूरता पर पति और उसके नातेदार को तीन वर्ष तक की अविध के कारावास व जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

इसी प्रकार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 ख के प्रावधान के अनुसार - जब किसी स्त्री की मृत्यु जलने या शारीरिक क्षति या विवाह के सात वर्षों के भीतर असामान्य परिस्थितियों में हो जाती है और मृत्यु से पहले उस स्त्री के पति या रिश्तेदार ने दहेज के लिए क्रूरता की हो तब वह दहेज मृत्यु कहलाती है और ऐसे नातेदार ने दहेज हत्या की, यह समझा जाएगा। दहेज हत्या करने पर न्यूनतम सात वर्ष तक के कारावास जो आजीवन कारावास तक की हेा सकेगी, दण्डित किया जाएगा।

डॉ. ऋचा चायल
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

.....

13. अम्ल से हमला (एसिड अटैक) एवं महिलाओं के अधिकार –

"ऐसा लगा कि बारिश हो रही है। उठी तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो, चेहरा भारी हो चुका था। असहनीय दर्द हो रहा था। मुझे तो पहले तेजाब का मतलब भी नहीं पता था, जब मुझ पर तेजाब फेंका गया तो पहले लगा कि कुछ दिनों या महिनों में सब ठीक हो जायेगा। इस

खौफनाक दर्द का मुझे बाद में अहसास हुआ। एसिड अटैक के 3 साल तक तो मैंने शीशा भी नहीं देखा। बच्चे मुझसे डरते थे। मैं खुद अपने आपको देखकर डर जाती थी।''

उक्त व्यथा एक एसिड अटैक से पीड़ित 15 वर्षीय बालिका की है। आज इस एसिड अटैक की वजह से बहुत सारी लड़कियों व महिलाओं की जान जा चुकी है, जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। एसिड अटैक इतना खतरनाक होता है कि इससे या तो पीड़ित की जान चली जाती है या फिर अगर जान बच भी जाये तो जिंदगी सिर्फ बोझिल व दर्द बनकर रह जाती है। एसिड हमले का शिकार होने वाले का चेहरा आंखों पर से पलकें, त्वचा, मांस व हड्डी तक जल जाते हैं।

पिछले कुछ वर्षों में एसिड अटैक के मामलों में तीव्रता से बढ़ोतरी हुयी है। एसिड सर्वाइवर्स ट्रस्ट इंटरनेशनल (ASTI) का कहना है कि दुनिया के कई देशों में एसिड हमले अब भी आम हैं। एसिड हमलों में 80 फीसदी पीड़ित लड़कियां या महिलायें होती हैं।

एसिड अटैक के कारण - एसिड अटैक के लगभग सभी मामले हावी होने की तीव्र इच्छा, प्रतिशोध, जुनून, सम्मान, वित्तीय विवाद और दहेज उत्पीड़न की वजह से किये जाते हैं। एसिड अटैक के पीड़ित व अपराधी औसतन 15 से 30 वर्ष की आयु के होते हैं। आधुनिक पीढ़ी किसी कार्य के सम्बन्ध में ''ना'' शब्द आसानी से सहन नहीं कर पाती है तथा किसी चीज के प्रति नकारात्मक उत्तर आवेश में परिवर्तित होकर एसिड अटैक जैसी घटनाओं को तीव्र गति देता है।

विधिक प्रावधान - पहले एसिड अटैक के मामले में भारतीय दंड संहिता में कोई अलग प्रावधान नहीं था। भा.द.सं. की धारा 326 (गंभीर रूप से जख्मी करना) के तहत ही केस होता था। बाद में भा.द.सं. की धारा 326 में कुछ बदलाव हुए। बदलाव के बाद 326 ए और 326 बी अस्तित्व में आया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा एसिड अटैक के सम्बन्ध में NALSA (LEGEL SERVICE TO VICTIMS OF ACID ATTACKS) SCHEME, 2016 बनायी गयी है, जिसमें एसिड अटैक पीड़ितों के पुनर्वास , मुआवजे के सम्बन्ध में प्रभावी उपबन्ध रखे गये हैं। उक्त स्कीम में एसिड पीड़ितों को न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व उपलब्ध करवाने, अस्पतालों में लीगल सर्विस क्लिनिक स्थापित करने , लोगों में जागरूकता लाने सम्बन्धी प्रावधान रखे गये हैं, जिससे कि एसिड पीड़ितों को अत्यधिक सहायता प्राप्त हो सके।

भा.द.सं. की धारा 326 ए व धारा 326 बी में एसिड अटैक अपराध के दण्ड के सम्बन्ध में कठोर प्रावधान किये गये हैं। एसिड अटैक पर धारा 326 ए में आजीवन कारावास व एसिड अटैक का प्रयास करने पर धारा 326 बी के तहत 5 साल तक की सजा दी जा सकती है।

एसिड अटैक सर्वाइवर्स के लिए एक प्रमुख प्रचारक लक्ष्मी अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी लक्ष्मी बनाम भारत संघ मामले में एसिड हमलों को रोकने और बचे लोगों को कल्याण प्रदान करने के लिए कई आदेश पारित किए गए थे। न्यायालय ने उस समय एक समान पर्याप्त और आनुपातिक मुआवजे की आवश्यकता पर ध्यान दिया और मुआवजे का आदेश दिया। एसिड अटैक सर्वाइवर्स को निर्धारित समयावधि के भीतर 3 लाख रुपये का

भुगतान किया जाना चाहिए। न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को मुआवजे के लिए आवेदनों के निस्तारण के प्रभारी निकाय के रूप में नामित किया है।

प्रेमप्रकाश जीनगर
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
नाथद्वारा

.....

14. महिलाओं द्वारा दत्तक लेने का अधिकार - भारत में गोद लेने के लिए एक प्रक्रिया बनी हुई है केंद्र सरकार ने बच्चा गोद लेने के लिए Central Adoption Resource Authority का गठन किया है। यह संस्थान महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, जो कि बेसहारा छोड़ दिये गये बच्चों को गोद देने का कार्य करती है।

भारत में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया -

- बच्चा गोद लेने के लिए भावी/दत्तक माता-पिता अथवा प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स को एडॉप्शन प्लेसमेंट एजेंसी में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए।
- गोद लेने से पहले काउंसलिंग की प्रक्रिया भी जरूरी होती है।
- जब एजेंसी से समाज सेवक परिवार की पूरी जानकारी लेकर रिपोर्ट तैयार कर लेता है, तब से प्रतीक्षाकाल शुरू हो जाता है।
- जब एजेंसी को एक उपयुक्त बच्चा मिल जाता है, तो वो भावी माता-पिता को सूचित कर देती है।
- दत्तक माता-पिता और एजेंसी का प्रतिनिधि रजिस्ट्रार ऑफिस में गोद लेने के प्रमाण को पंजीकृत करवाते हैं और जन्म प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करते हैं।
- विस्तृत जानकारी CARA की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य बिंदु - अपना बच्चा होने के बाद भी बच्चा गोद लिया जा सकता है, लेकिन यहां बच्चे की लिंग महत्व रखता है, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 जिसके तहत हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और आर्य समाज आता है, केवल विपरीत लिंग का बच्चा ही गोद लेने की आज्ञा देता है। गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट, 1890 और जूवेनिल जस्टिस एक्ट, 2000 व 2015 में संशोधित में इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और इनके चलते, एक ही लिंग के कई बच्चे गोद लिए गए हैं।

दूसरे धर्म के बच्चे को गोद ले सकते हैं - भारतीय कानून के हिंदू एडॉप्शन ऐंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 के तहत सिर्फ हिंदू ही बच्चा गोद ले सकते थे, लेकिन अब दूसरे धर्म के लोग भी गार्जियन ऐंड वार्ड एक्ट, 1890 के तहत अर्जी देकर बच्चा गोद ले सकते है।

दत्तक ग्रहण से सम्बंधित नियम -

- 1956 में हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट पारित किया गया जिसके अनुसार, बालिग और दिमागी रुप से तंदुरुस्त शख्स ही बच्चा गोद ले सकता है।
- शादीशुदा कपल तो गोद ले ही सकते हैं, अगर शादीशुदा नहीं हैं तो भी बच्चा गोद ले सकते हैं।
- अगर कोई पुरुष किसी बच्ची को गोद लेना चाहता है तो दोनों की उम्र में 21 साल का

फर्क होना चाहिए। यही नियम महिलाओं के लिए भी है, महिला अगर किसी लड़के को गोद ले रही है, तो उन दोनों के बीच भी 21 साल का फर्क होना जरूरी है।

- अगर किसी के बेटा या पोता है, तो वह लड़का गोद नहीं ले सकता। अगर किसी की बेटी है, पोती है या बेटी नातिन है तो भी वह लड़की गोद नहीं ले सकता है।
- नैचुरल पैरेंट्स को यह अधिकर है कि वे आपसी सहमति से अपने बच्चे को किसी और को गोद दे सकते हैं, अगर मां या बाप में से किसी एक को भी ऐतराज होगा, तो बच्चे को गोद नहीं दिया जा सकता। उसी बच्चे को गोद दिया जा सकता है, जिसे पहले किसी और को गोद न दिया गया हो।
- गोद दिए जाने के वक्त बच्चे की उम्र 15 साल से कम होनी चाहिए और वह शादीशुदा नहीं होना चाहिए।

बच्चा गोद लेने की शर्तें- बच्चा गोद देने में निःसंतान दम्पति को प्राथमिकता दी जाती है। अगर संभाावित अभिभावक शादीशुदा हैं तो आपसी सहमति से किसी भी लिंग का बच्चा गोद ले सकते है, परंतु सिंगल महिला किसी भी लिंग के बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि एक सिंगल पुरूष केवल लड़का ही गोद ले सकता है। चार वर्ष तक के बच्चे को गोद लेने के लिए पति-पत्नि दोनों की उम्र 45 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीन बच्चे वाले माता-पिता बच्चा गोद लेने के लिए योग्य नहीं हैं, लेकिन विशेष स्थिति में वे भी बच्चा गोद ले सकते हैं। लिव इन रिलेशनशिप वाले व्यक्ति को गोद लेने का अधिकार नहीं है , इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में निर्णय पारित किया गया है।

बच्चा गोद लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया- www.cara.nic.in. Central Adoption Recource Authority इस पर ऑनलाईन आवेदन करें। विकल्पों के अनुसार अपने दस्तावेज की जानकारी भरें। इसके बाद आपकी प्रार्थना बालगृह भेज दी जावेगी तथा आपको उक्त बच्चा देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी जावेगी।

ब्रह्मानंद शर्मा
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
भीम

.....

15. मातृत्व अवकाश अधिकार -

प्रसूति अवकाश नियम 103 के अनुसार दो से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला राज्य कर्मचारी को 180 दिनों तक का प्रसूति अवकाश उसके आरंभ होने की तारीख से स्वीकृत किया जा सकता है। यदि उसके द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के उपरांत भी उसके कोई जीवित संतान न हो तो ऐसे प्रकरणों में एक बार और प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(6) एफडी रूल्स/2011 दिनांक 15.02.2012 द्वारा राजस्थान सेवा नियम 122-ए(ii) में यह जोडा गया कि महिला परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को उपरोक्त नियम के तहत प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। प्रसूति अवकाश अस्थाई महिला कर्मचारी को भी देय है।

प्रसूति अवकाशों की अवधि में ऐसी महिला राज्य कर्मचारी को उस दर से अवकाश

वेतन दिया जाएगा जो वह ऐसे अवकाश के प्रारंभ होने से पूर्व प्राप्त कर रही थी। यह पूर्ण वेतन पर स्वीकृत किया जाएगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6 (2)वित्त/नियम/2008 दिनांक 22.07.2010 द्वारा महिला राज्य कर्मचारी को प्रसूति अवकाश की अवधि में 180 दिवस तक के अवकाश वेतन के साथ उसे वही मकान किराया भत्ता तथा उसी दर पर नगर क्षतिपूर्ति भत्ता देय होगा। जो उसे प्रसूति अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे। प्रसूति अवकाश कर्मचारी के अवकाश लेखों में डेबिट नहीं किये जाएंगे बल्कि ऐसे अवकाश का उल्लेख उसकी सेवा पुस्तिका में पृथक रूप से किया जावेगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक F1(43) वि.वि.(ग्रुप-2)/83 दिनांक 14.07.2006 द्वारा नियम 103 के नीचे दी गई एक टिप्पणी जोड़ी गई है जिसके अनुसार किसी ऐसी महिला सरकारी कर्मचारी जिसके दो से कम जीवित संतान है, मिसकैरिज सहित गर्भपात का मामला हो, संपूर्ण सेवा के दौरान या तो एक बार या दो बार, कुल 6 सप्ताह तक का प्रसूति अवकाश भी सस्वीकृत किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, यह अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी को दो जीवित बच्चों से कम होने पर ही स्वीकृत किया जा सकेगा। चाहे गए अवकाश प्रार्थना पत्र के साथ प्राधिकृत चिकित्साधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

इस संबंध में राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रसूति अवकाश अस्थाई महिला कर्मचारी को भी अनुज्ञेय है लेकिन अधूरे गर्भपात के मामले में प्रसूति अवकाश देय नहीं है। राज्य सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया है कि ''गर्भपात'' शब्द में ''गर्भपात की आशंका'' सम्मिलित नहीं माना जाएगा। परिणामस्वरूप शंका वाले गर्भपात में प्रसूति अवकाश स्वीकार नहीं किया जाएगा।

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(9) एफडी (रूल्स)/98 दिनांक 21.08.2006 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों के परिशिष्ठ IX के प्रविष्ठि क्रमांक 22 के नीचे यह वाद जोड़ा गया है कि प्रसूति अवकाश के मामले मं, 4 माह का अवकाश स्वीकृत करने वाला सक्षम प्राधिकारी 180 दिन तक का भी अवकाश स्वीकृत करने हेतु सक्षम होगा। वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(5) वित्त (नियम)/96 दिनांक 26.02.2002 द्वारा राजस्थान सेवा नियमों में जोड़े गए नियम 104 के तहत प्रसूति अवकाश किसी अन्य प्रकार के अवकाशां के साथ भी लिया जा सकता है।

टिप्पणी - प्रसूति अवकाश ऐसे महिला राज्य कर्मचारी को उसके गर्भस्त्राव एवं गर्भपात के मामले में भी स्वीकृत किया जा सकेगा। जिसके दो से कम जीवित संतान हो। ऐसा प्रसूति अवकाश कुल सेवाकाल में अधिकतम दो बार स्वीकृत किया जा सकेगा। जिसकी दोनों बार की मिलाकर अधिकतम सीमा छह सप्ताह तक की होगी। यह भी शर्तं रहेंगी की गर्भस्त्राव/गर्भपात के लिए प्रसूति अवकाश के प्रार्थना पत्र के साथ राजकीय प्राधिकृत चिकित्सक का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

श्रीमती पूनम मीणा
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
देवगढ़

.....

16. महिलाओं के विरूद्ध साइबर अपराध व उपलब्ध उपचार –

ई–मेल के माध्यम से उत्पीडन – इसमें ब्लैकमेलिंग, धमकाना और यहां तक की ईमेल के माध्यम से धोखाधडी भी शामिल है। ई उत्पीडन, पत्र उत्पीडन के समान है, लेकिन फर्जी आईडी से पोस्ट किये जाने पर अक्सर समस्या पैदा होती है।

साइबर पोर्नोग्राफी – यह महिला नेटिजन्स के लिए दूसरा खतरा है। इसमें अश्लीलता भी शामिल होगी।

वेबसाइटें, कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करके बनाई अश्लील पत्रिकाएं साइबर पॉर्न व्यापक है। लगभग 50 प्रतिशत वेबसाइटें आज इंटरनेट पर अश्लील सामग्री प्रदर्शित करती है। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क और सीडी–रोम जैसे नए मीडिया पर अश्लील सामग्री के अधिक तेजी से और सस्ते मे रिजनरेट किया जा सकता है। स्थिर चित्रों और छवियों के अलावा, पूर्ण गति विडियों क्लिप और फिल्मों में भी उपलब्ध है जिससे फोटो एवं विडियो भी एडिट किये जा सकते है।

साइबर मानहानि या डिफेमेशन – मानहानि और मानहानि सहित साइबर अपकृत्य नेट पर महिलाओं के खिलाफ एक और आम अपराध है ऐसा तब होता जब कंप्यूटर और या इंटरनेट की मदद से मानहानि की जाती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट पर किसी के बारे में अपमानजनक बात प्रकाषित करता है या उस व्यक्ति के सभी दोस्तों को अपमानजनक जानकारी वाले ई–मेल भेजता है।

मोर्फिगं यह एक ऐसा अपराध है जिसमें तस्वीरों को एवं विडियों को ऐडिट किया जाता है पीडिता के चेहरे को दूसरे, आमतौर पर नग्न, शरीर पर रख देते है। यह पाया गया है कि महिलाओं की तस्वीरों को फर्जी उपयोगकर्ताओं द्वारा डाउनलोड किया जाता है और उन्हें एडिट करने के बाद फर्जी प्रोफाइल बनाकर विभिन्न वेबसाइटों पर फिर से अपलोड कर दिया जाता है। यह आईटी अधिनियम 2000 का उल्लघंन है, और उक्त अधिनियम की धारा 43 एवं 66 को आकर्षित करता है। उल्लंघनकर्ता पर आईपीसी के तहत भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

ईमेल स्पूफिंग – पुरुषों द्वारा उपयोग किया जाने वाला अधिक सामान्य तरीका महिलाओं को अपनी अश्लील तस्वीरें ईमेल करना, उनकी सुंदरता की प्रशंसा करना और उनसे डेट के लिए पूछना या यह पूछना है कि वे सेवाओं के लिए कितना शुल्क लेते है। ई–मेल, एसएमएस और चेट के माध्यम से स्पष्ट संदेश भेजने के अलावा कई लोग तस्वीरों को भी रूपांतरित करते है।

साईबर स्टॉकिंग – यह आधुनिक दुनिया में सबसे चर्चित नेट अपराधों में से एक है जिसमें महिला, बच्चों एवं भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्तियों को निशना बनाया जाता है। साईबर स्टॉकिंग एक तरह से इन्टरनेट पर पीछा करना है जिसमें पी़डित द्वारा देखे जाने वाले बुलेटिन बोडो एवं अन्य सोशल मिडीया पर संदेश पोस्ट किये जाते है एवं पी़डित व्यक्ति की गतिविधियों का पीछा किया जाता है। पी़डित से बदला लेने अथवा यौन उत्पीडन के उद्देश्य से साईबर स्टॉकिंग की जाती है।

भारत में साइबर अपराध और महिलाओं के खिलाफ अपराधों से संबंधित आईटी अधिनियम 2000 के प्रावधान –

आईटी अधिनियम का अध्याय 11 कंप्यूटर स्रौत दस्तावेजों के साथ छेडछाड (धारा 65), कंप्यूटर सिस्टम के साथ हैकिंग (धारा 65), इलेक्ट्रोनिक रूप में अश्लील जानकारी का प्रकाशन (धारा 67) संरक्षित प्रणाली (170) गोपनीयता और निजता का उल्लंघन (धारा 72), कपटपूर्ण उद्येष्य के लिए प्रकाशन (धारा 74) जैसे अपराधों से संबंधित है।

पुनः, आईटी एक्ट 2000 की किसी भी धारा के तहत, अश्लीलता व्यक्तिगत देखना अपराध नहीं है, वास्तव में आईपीसी 292 की तरह यह फिर से साबित हो जाता है कि आपने इलेक्ट्रोनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित किया है या प्रकाशित कराया है तो धारा 67 के तहत यह अपराध हो सकता है। अंतिम लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि आईटी अधिनियम 2000 में साइबर स्टॉकिग जैसे विशिष्ट साइबर अपराधों का उल्लेख नहीं है। पीछा करना , छेडछाड करना और ईमेल स्पूफिंग को अपराध माना गया है।

उपचार– क्या करें –

अलग–अलग आनलाईन अकाउन्ट के लिये हमेशा अलग–अलग पासवर्ड या पिन का उपयोग करें । नियमित अन्तराल पर पासवर्ड बदले। नया फोन लेने पर पुराना फोन फारमेट करके ही किसी अन्य को उपयोग हेतु देवे अथवा बेचें। व्यक्तिगत फोटो एवं विडियों सार्वजनिक क्लाउड पर एवं ऑपन सोशल मिडीया पर अपलोड न करें। अपने सोशल मिडीया अकाउन्ट को प्राईवेट/ लॉक रखें। साईबर अपराध के शिकार होने पर तुरन्त नजदीकी पुलिस स्टेशन/साईबर पुलिस स्टेशन अथवा राष्ट्रीय हेल्प लाईन नम्बर 155260 पर शिकायत दर्ज करावें।

क्या न करें –

अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, जन्म तिथी, फोन नम्बर इत्यादि को अपने पासवर्ड के रूप में न रखें। अविश्वसनीय/ अप्रत्याशित पॉप–अप लिंक को क्लिक न करें सोशल मिडीया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, वॉट्सऐप पर अपनी गोपनीय जानकारी एवं निजी फोटो साजा न करें । सोशल मिडीया पर अनजान व्यक्तियों से वीडियो चेट न करें ।

सुश्री ममता परमार
प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड
राजसमंद

.....

17. गिरफ्तारी एवं महिलाओं के अधिकार -

आपराधिक न्याय प्रक्रिया को नागरिक से विभिन्न चरणों में निपटना पड़ता है। गिरफ्तारी पहला चरण है। इस स्तर पर नागरिक की स्वतंत्रता को जनता के हित की रक्षा के लिए नियंत्रित किया जाता है। एक व्यक्ति को विभिन्न उद्देश्यों के तहत गिरफ्तार किया जाता है। कभी-कभी, ऐसा करके उसे जनता के प्रतिशोधक हमले से बचाया जाता है और कभी-कभी,

उसे आगे अपराध करने से रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और निश्चित रूप से गिरफ्तारी उसे उपयुक्त न्यायालय के सामने पेश करने में मदद करती है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46 (4) के अनुसार, जो महिलाओं की गिरफ्तारी को नियंत्रित करती है, में विशेष रूप से यह उल्लेख किया गया है कि "असाधारण परिस्थितियों को छोड़ कर, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कोई भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और जहाँ ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ हों, महिला पुलिस अधिकारी, एक लिखित रिपोर्ट बनाकर, प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके अंतर्गत स्थानीय क्षेत्राधिकरण में अपराध किया जाता है या गिरफ्तार किया जाना है की पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा।

एक महिला जिसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जा रहा है , उसके निम्न अधिकार हैं -

- गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित किए जाने का अधिकार। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50 (1)। (सीआरपीसी) I
- गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी को तत्काल इस तरह की गिरफ्तारी और पुलिस थाने की जानकारी उसके दोस्त, रिश्तेदार या उसके बताये अनुसार नामित व्यक्ति को देनी होगी। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 50 ए।
- पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में सूचित करना।
- जमानत के अधिकार के बारे में जानने का अधिकार। सीआरपीसी की धारा 50 (2)
- मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखना, सीआरपीसी की धारा 56 व धारा 76 ।
- गिरफ्तारी पर कानूनी विशेषज्ञ से परामर्श करने का अधिकार
- गिरफ्तारी के समय किसी व्यक्ति के साथ मारपीट और उसे हथकड़ी लगाना अवैध है।
- केवल एक महिला पुलिस अधिकारी ही किसी महिला की सभ्य तरीके से तलाशी ले सकती है।
- इसके अलावा एक चिकित्सा व्यवसायी द्वारा जांच करने का अधिकार भी है।
- गिरफ्तार व्यक्ति को कानूनी सहायता और निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है।

यदि पुलिस अधिकारी एक महिला को गिरफ्तार करते समय निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहता है, तो उसे तुरंत अपने वकील से संपर्क करना चाहिए। उसे पुलिस अधिकारियों को अपने अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में याद दिलाना चाहिए। इसके अलावा वह उसी थाना गृह अधिकारी जो पुलिस स्टेशन के प्रभारी हैं को शिकायत कर सकती है।

शिकायत को मजिस्ट्रेट को भी संबोधित किया जाना चाहिए ताकि वह इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई कर सकें। इसके अलावा इस तरह के मामले में महिलाओं की समस्या के बारे में स्पष्टता लाने के लिए अधिकारियों के नाम और पद का नामांकन किया जाना चाहिए। अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध को सिर्फ इसलिए शून्य घोषित

नहीं किया जा सकता क्योंकि आरोपी के साथ दुराचार हुआ था, लेकिन इसके लिए उसे पारिश्रमिक प्रदान किया जा सकता है।

श्रीमती चेताली सोलंकी
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
राजसमंद

.....

18. कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित कानून -

भारत में कई लोगों के लिए 'यौन उत्पीड़न' नया शब्द होगा, पर यौन प्रकृति वाला अनचाहा, अनुचित व्यवहार, जिसे, 'ईव-टीजिंग'- लड़की को छेडना भी कहा जाता है। भारत अथवा दुनिया के कई अन्य हिस्सों के लिए नया नहीं है। भारत की महिलाओं के लिए यह एक हकीकत है। अधिकांश मामलों में पुरूषों द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीडन, उन्हें लक्ष्य कर किया जाता है, लेकिन किसी भी महिला या पुरूष को ऐसा व्यवहार सहन नहीं करना चाहिए, जो उनकी इज्ज़त और मर्यादा का उल्लंघन करे, और जिससे उस व्यक्ति, संस्थान या समाज पर नकारात्मक असर पड़े।

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 पारित किया। यह अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14,15,21 के तहत महिलाओं को हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। यह अधिनियम कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करता है और इसकी रोकथाम और निवारण का प्रावधान करता है। यह कानून यौन उत्पीड़न की उसी परिभाषा को प्रयोग में लाता है, जो उच्चतम न्यायालय ने 'विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, 1997' मामले में दी थी जो की लैंगिक भेदभाव और हिंसा के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम -

भारत में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध व निवारण अधिनियम 2013 के अुनसार नियोजक एवं कार्यस्थल के रख-रखाव के लिए ज़िम्मेदार अन्य व्यक्तियों व संस्थानों के निम्नलिखित उत्तरदायित्व होते हैं -

- कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की घटनाओं को रोकना।
- यौन उत्पीड़न की घटनाओं से निपटने, इनके समाधान और दोषी व्यक्ति को सज़ा दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए कार्यप्रणाली तैयार करना। इस अधिनियम के अनुसार कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए नियोजक अथवा इसके लिए उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र की जिम्मेदारी होगी।
- कार्यस्थल पर काम का सुरक्षित वातावरण मुहैया कराना जिसमें कार्यस्थल के सम्पर्क में आने वाले किसी तीसरे पक्ष, बाहरी व्यक्ति से बचाव भी शामिल है।
- यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों का प्रकाशन, आंतरिक समिति सहित शिकायत निपटारे की पूरी प्रणाली से संबंधित सूचना का प्रकाशन।

- अधिनियम के प्रावधानों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए नियमित अंतराल पर कार्यशालायें और जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- आंतरिक शिकायत समिति के लिए लाभार्थ अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
- सेवा नियमों के तहत यौन उत्पीड़न को दुराचार के रूप में मान्यता प्रदान करना एवं इस प्रकार के आचरण के खिलाफ कदम उठाना।

उपरोक्त दायित्वों के अतिरिक्त अधिनियम में सरकारी कार्यालयों के निम्नलिखित उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है:

- अधिनियम के प्रावधनों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाना।
- केन्द्र व राज्य सरकारों के लिए अनिवार्य है कि वे जनता के बीच कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध व निवारण अधिनियम, 2013 के बारे में समझदारी विकसित करने के लिए समुचित प्रशिक्षण व प्रशिक्षण सामग्री प्रदान करें तथा जागरूकता अभियान चलाएं।
- स्थानीय शिकायत समिति के लाभार्थ अभिमुखीकरण और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिपादित करें।

श्रीमती मीनाक्षी अमित चौधरी
विशिष्ट न्यायाधीश एनआईएक्ट कोर्ट
राजसमंद

.....

19. महिलाओं के विरूद्ध विभिन्न अपराध एवं दण्ड -

भारत एक प्रगाढ़ धार्मिक विश्वास का देश है, जिसकी सामाजिक संरचना की जड़ें उसके पौराणिक इतिहास से निकलती है। भारत में हमेशा महिलाओं को पूजनीय स्थान दिया गया है। यहां तक कि भारत के पौराणिक ग्रन्थों में भी उल्लेखित है कि

''यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।''

अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता भी विचरण करते हैं। इसी धार्मिक एवं सामाजिक संरचना से ओतप्रोत भारत में प्रारम्भिक काल से स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। यहां तक कि हर देवता व ईश्वर के नाम से पहले उनकी अर्धांगिनी/सखी का नाम उल्लेखित किया जाता गया है उदाहरणतः राधाकृष्ण, सीताराम आदि।परन्तु कलियुगे कलि प्रथम चरणे के भाव को सिद्ध करते हुये संतों द्वारा पूर्वानुमानित अनुसार ही धीरे-धीरे उक्त दैवीय दर्जे में निरन्तर गिरावट आती गयी है। भारतवर्ष में प्रारम्भ से ही महिलाओं के प्रति सजगता दिखाते हुये उन्हें कानून में अनेकों प्रावधान के अधीन संरक्षण प्रदान किया है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध के संबंध में भारतीय दंड संहिता,1860 में प्रावधान किये गये है।

अपहरण (धारा 359,360,366)

अपहरण शब्द का तात्पर्य या तो भारत से अपहरण या वैध संरक्षकता से अपहरण से है। आईपीसी की धारा 360 के अनुसार जो कोई बिना सहमति किसी व्यक्ति को भारत से बाहर ले जाने पर भारत से अपहरण और जो कोई किसी नाबालिग (पुरुष के मामले में 16 वर्ष और

महिला के मामले में 18 वर्ष) को उसकी या अभिभावक की सहमति के बिना ले जाता है तो वह व्यक्ति को वैध संरक्षकता से अपहरण करना कहलाता है। इस उद्देश्य के लिए 7 वर्ष तक की सज़ा और जुर्माना है।

आईपीसी की धारा 366 में अपहरण, अपहरण या महिला को शादी के लिए मजबूर करने और जबरन यौन संबंध बनाने को दंडनीय बनाया गया है जिसमें अधिकतम दस वर्ष तक के कारावास व जुर्माने की सजा दी जा सकती है।

छेड़छाड़ (धारा 509) - किसी महिला की गरिमा का अपमान करने का इरादा रखता है, कोई भी शब्द बोलता है, कोई आवाज या इशारा करता है या कोई ऐसी वस्तु प्रदर्शित करता है जो ऐसी महिला की गोपनीयता में हस्तक्षेप करती है, तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

बलात्कार (धारा 376,376 ए,376 बी,376 सी,376 डी) एवं यौन उत्पीड़न (धारा 354 ए) -

यह महिलाओं के खिलाफ़ सबसे गम्भीर अपराध है। नाबालिग लड़की से बलात्कार, एक महिला से बलात्कार (धारा 376), हत्या के साथ बलात्कार (धारा 376 ए), परिवारों में बलात्कार, लोक सेवकों द्वारा बलात्कार (धारा 376 सी), सामूहिक बलात्कार (धारा 376 डी), वैवाहिक बलात्कार (धारा 376 बी)। इन अपराधों के लिए सज़ा 7 साल से लेकर 20 साल तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माना भी है। महिलाओं/बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण, शारीरिक उत्पीड़न की रोकथाम हेतु तथा उक्त अपराध को गम्भीरता से विचारण करने हेतु विशेष अधिनियम पोक्सो, 2013 प्रवर्तन में लाया गया है जिसकी विभिन्न धाराओं में कठोर कारवास तक से दण्डित करने के प्रावधान हैं।

यौन उत्पीड़न को अवांछित यौन प्रगति, यौन अनुग्रह के लिए अनुरोध और यौन प्रकृति के अन्य मौखिक या शारीरिक उत्पीड़न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसमें हल्के अपराधों से लेकर यौन शोषण या यौन उत्पीड़न, महिलाओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाना आदि शामिल हैं। आईपीसी की धारा 354 ए के अनुसार यदि कोई व्यक्ति यौन उत्पीड़न का कार्य करता है, तो उसे 3 साल तक की कठोर कैद और जुर्माना लगाया जाएगा।

घरेलू हिंसा (धारा 498 ए भा.द.सं.) -

महिलाओं के साथ क्रूरता भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 ए अपराध बनाया गया है इसमें 1 वर्ष की सजा और जुर्माने के प्रावधान हैं।

साइबर अपराध (धमकाने, दुर्व्यवहार, हिंसा, अश्लीलता) -

टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत भी काफी आगे बढ़ चुका है और महिलाएं भी इसमें बराबर की हिस्सेदार हैं। लेकिन महिलाओं को मात्र भोग की वस्तु समझने वाले विकृत लोगों ने साइबर दुनिया में भी महिलाओं को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है. धमकाना, दुर्व्यवहार, अश्लील साहित्य आदि जैसे कई साइबर अपराध हैं जो महिलाओं के खिलाफ हर दिन हो रहे हैं। इन अपराधों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कई दंडों का प्रावधान है, जिसमें 3 वर्ष तक के कारावास से लेकर न्यूनतम जुर्माना और जुर्माना शामिल है।

दहेज हत्या - भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी में दहेज हत्या पर न्यूनतम सात वर्ष जो आजीवन कारावास तक हो सकता है दंडित किया जा सकता है।

एसिड अटैक (धारा 326 ए,326 बी) - जो कोई भी गंभीर चोट या हमले के लिए स्वेच्छा से एसिड फेंकता है, उसे 7 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है।

पीछा करना (धारा 354 डी) - यदि कोई किसी महिला का मना करने के बावजूद पीछा करता है या इंटरनेट या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार पर नियमित संपर्कों या निगरानी द्वारा महिलाओं की गोपनीयता का उल्लंघन करता है उसे 3 साल से 5 साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किया जाएगा।

शील भंग करने के लिए हमला (धारा 354,354 बी) - जो कोई भी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है (1 वर्ष-5 वर्ष कारावास) या उसे निर्वस्त्र करता है या उसे नग्न होने के लिए मजबूर करता है (3 वर्ष-7 वर्ष कारावास) वह क्रमशः धारा 354 और धारा 354 बी के तहत उत्तरदायी है।

महिला तस्करी (धारा 370,370 ए,372,373) - महिला तस्करी की अवधारणा भारत में 20 वीं सदी के अंत में शुरू हुई और अभी भी अस्तित्व में है। धारा 370 में तस्करी के विभिन्न तरीकों का वर्णन किया गया है जिसमें नाबालिग लड़कियों की तस्करी , शोषण के उद्देश्य से तस्करी आदि शामिल है। धारा 372 और 373 में वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए नाबालिगों को खरीदने और बेचने का उल्लेख है। कारावास की अवधि प्रत्येक अपराध में अलग -अलग होती है और 3 साल से लेकर 1 साल तक होती है और जुर्माना भी होता है।

परिणय जोशी
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नाथद्वारा

.....

20. डायन प्रताडना अधिनियम -

राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम 2015 -

राजस्थान में डायन प्रताडना के मामलों पर काबु पाने के लिए एवं प्रभावी उपाये करने के लिए राज्य में डायन वृत्ति की प्रथा का निवारण करने के लिए वर्ष 2015 में डायन प्रताडना निवारण अधिनियम प्रभाव में आया, जो दिनांक 17.08.2015 से लागू किया गया।

डायन - ऐसी स्थिति जिसे स्थानीय रूप से डायन, डाकन, डाकिन या अन्यथा नाम से जाना जाता है जिसकी पहचान किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किसी व्यक्ति अथवा सम्पत्ति को कोई हानि पहुंचाने वाली स्त्री के रूप में इस विश्वास के साथ की जाये की वह स्त्री किसी बुरी शक्ति के कब्जे में है अतः उसके पास कोई बुरी शक्ति है।

डायन प्रताडना - किसी व्यक्ति द्वारा यदि किसी स्त्री के डायन रूप में पहचान करता है, दोष लगता है या मानहानि करता है या किसी स्त्री को मानसिक या शारीरिक रूप से तंग करता है अपमानित करता है या उसे क्षति पहुंचाता है या उसकी सम्पत्ति को हानि पहुंचाता है तो वह डायन प्रताडना करता है कहा जाता है। राजस्थान राज्य में उक्त अधिनियम की धारा (3)

द्वारा डायन प्रताडना एवं डायन वृति को अपराध बताया गया है एवं धारा 4 में डायन प्रताडना के लिए दण्ड अधिरोपित कर डायन प्रताडना के मामलों में न्यूनतम एक वर्ष अधिकतम पांच वर्ष कठोर कारावास या न्यूनतम पचास हजार जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाया गया है एवं किसी स्त्री को डायन के रूप में सीमित करने के मामलों में या किसी स्त्री को अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ पीने या खाने के लिए बाध्य करता है या उसे नग्र या कम वस्त्रों में या चेहरे को पुतता है या ऐसा कोई कृत्य जो मानव गरिमा के प्रति अनादर पूर्ण है तो न्यूनतम तीन वर्ष अधिकतम सात वर्ष कठोर कारावास या न्यूनतम पचास हजार जुर्माना या दोनों से दंडनीय बनाया गया है।

डायन वृत्ति -

जो कोई दुराशयपूर्वक आत्मा का आवाहन करने या चुराये गये माल का पता लगाने के लिए अलौकिक या जादुई शक्तियों का उपयोग अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य समान वृत्तियां सम्मिलित है जिन्हें टोना-टोटका, तंत्र-मंत्र, जादु टोना, झाड-फंूक इन नामों से जाना जाता है। राजस्थान राज्य में उक्त डायन वृति के अपराध के लिए धारा 5 में ऐसे कारावास से जो एक वर्ष से कम नहीं होगा, किंतु तीन वर्ष तक हो सकता है अथवा ऐसे जुर्माने से दो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा अथवा दोनों से दंडनीय अपराध बनाया गया है।

उक्त अधिनियम में डायन चिकित्सक, डायन प्रताडना से पीडित स्त्री की अप्राकृतिक मृत्यु के मामलें को भी क्रमशः धारा 6 व 7 में अपराध बताकर दंडनीय अपराध बनाया गया है धारा 9 में प्रतिकर के संबंध में भी उपबंध किये गये है।

उक्त अधिनियम में जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, या किसी पुलिस अधिकारी को जो पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का ना हो इतला प्राप्त होने पर और जांच करने के पश्चात कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसके संबंध में धारा 11 में प्रावधान दिया गया है।

इस प्रकार राजस्थान राज्य के संबंध में राजस्थान डायन प्रताडना निवारण अधिनियम द्वारा डायन प्रताडना एवं डायन वृति को अपराध घोषित किया गया है एवं उसके निवारण एवं मुख्य धारा से जोडने लिए विभिन्न प्रावधान किये गये है जिनसे विगत कई वर्षों में डायन प्रताडना एवं डायन वृति के मामलों में कमी आई है।

मनोज सिंघारिया
अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट ,
नाथद्वारा

.....

21. महिलाओं को समान वेतन का अधिकार -

संदर्भ -

भारत में लैंगिक वेतन अंतराल (Gender Pay Gap) देश में पुरुषों और महिलाओं के बीच औसत वेतन या आय अर्जन के बीच के अंतर को दर्शाता है। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 'भारत में महिला एवं पुरुष 2022' (Women and Men in India 2022) रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक दशक में पुरुषों और महिलाओं के

बीच वेतन असमानता बढ़ी है, जहाँ उच्च वेतन स्तरों पर अंतराल और अधिक बढ़ गया है। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 (World Inequality Report 2022) में प्रस्तुत वैश्विक आय में लैंगिक असमानता के पहले अनुमान के अनुसार, भारत में पुरुष श्रम आय में 82% हिस्सेदारी रखते हैं, जबकि महिलाएँ महज 18% हिस्सेदारी रखती हैं।

लैंगिक वेतन अंतराल के प्रमुख कारण -

महिलाओं का कम-वेतन वाले व्यवसायों में केंद्रित होना, **भेदभाव**: महिलाओं द्वारा कार्य से अवकाश लेने या पार्ट-टाइम कार्य करने की संभावना **महिलाओं के लिये उच्च वेतन या लाभ के लिये सौदेबाजी (negotiation) की कम संभावना शिक्षा और प्रशिक्षण तक सीमित पहुँच**:

अनियमित घंटों में कार्य असमर्थता, कार्य स्थल तक पहुँचने के लिये गतिशीलता की कमी पारिवारिक उत्तरदायित्वों के कारण अनुभव का अंतराल

संवैधानिक प्रावधान -

भारत का संविधान अनुच्छेद 39 (d) और अनुच्छेद 42 के तहत पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिये समान कार्य के लिये समान वेतन की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद 15 (1) और अनुच्छेद 15 (2) के तहत लैंगिक भेदभाव पर भी रोक लगाता है।

समान पारिश्रमिक अधिनियम: समान पारिश्रमिक अधिनियम (Equal Remuneration Act) वर्ष 1976 में यह सुनिश्चित करने के लिये पारित किया गया था कि पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिये समान वेतन प्राप्त हो। यह अधिनियम सभी संगठनों पर लागू होता है, चाहे वे सार्वजनिक हों या निजी, और यह नियमित एवं अनियत दोनों तरह के कर्मचारियों को दायरे में लेता है।

मातृत्व लाभ अधिनियम: मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act) महिला कर्मचारियों के लिये मातृत्व अवकाश और अन्य लाभों का प्रावधान करता है। वर्ष 2017 में इस में किये गए संशोधन के माध्यम से मातृत्व अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम: महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करने के लिये यह अधिनियम वर्ष 2013 में पारित किया गया था। यह सभी नियोक्ताओं के लिये शिकायतों के निवारण हेतु एक तंत्र स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने को आवश्यक बनाता है कि वेतन और कार्यदशाओं के मामले में महिलाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

अन्य: वर्ष 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 'भुगतान समता नीति' (pay equity policy) की घोषणा करते हुए कहा कि इसके केंद्रीय रूप से अनुबंधित पुरुष और महिला खिलाड़ियों को समान मैच फीस प्राप्त होगी।

अजय मीणा
न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय
रेलमगरा

.....

22. सती निवारण अधिनियम -

सती प्रथा एक हिंदू महिला द्वारा अपने पति की मृत्यु पर उसकी चिता में आत्मदाह करने की प्रथा थी। हालाँकि इस प्रथा को कोई वैदिक स्वीकृति नहीं है, फिर भी यह भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित हो गई थी। विधवा को स्वर्ग जाना चाहिए था और इसे एक महिला की अपने पति के प्रति समर्पण का अंतिम बलिदान और प्रमाण माना जाता था। सती प्रथा के कई मामले स्वैच्छिक थे जबकि कुछ जबरन थे।

राजस्थान की राज्य सरकार ने सती (रोकथाम) अधिनियम, 1987 पारित किया जिसके तहत विधवाओं को स्वैच्छिक या जबरन जलाना या जिंदा दफनाना और सती के किसी भी जुलूस में भागीदारी सहित ऐसे कृत्यों का महिमामंडन करना दंडनीय हो गया। यह अधिनियम 1988 में भारतीय संसद का एक अधिनियम बन गया जब सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987 अधिनियमित किया गया।

राजस्थान में सती निषेध अधिनियम, अन्य भारतीय राज्यों में समान कानून की तरह, सती की प्राचीन और अमानवीय प्रथा को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें विधवाओं से अपने पति की अंतिम संस्कार की चिता पर आत्मदाह करने की अपेक्षा की जाती थी।

सती निषेध अधिनियम, 1987, उन ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाया गया एक व्यापक कानून है जिसके कारण सती प्रथा शुरू हुई। यह अधिनियम न केवल किसी महिला को सती होने के लिए मजबूर करने या मजबूर करने के कार्य को अपराध मानता है, बल्कि सती को बढ़ावा देने या इसमें भाग लेने वाले लोगों के लिए कड़े दंड की भी रूपरेखा तैयार करता है। यह संपत्ति के अधिकारों को संबोधित करने, विधवाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने और पुनर्वास उपायों की पेशकश करके आगे बढ़ता है।

अधिनियम का एक महत्वपूर्ण पहलू विधवाओं की कानूनी स्थिति की मान्यता है। यह सुनिश्चित करता है कि विधवाओं को बेसहारा न छोड़ा जाए, जैसा कि अक्सर अतीत में होता था। अधिनियम के अनुसार, विधवाओं को अपने पति की संपत्ति पर अधिकार है, और ऐसी संपत्ति के निपटान के लिए उनकी सहमति आवश्यक है। यह विधवाओं को अपने भविष्य और वित्तीय सुरक्षा के बारे में बोलने का अधिकार देता है।

इस अधिनियम में सती प्रथा के महिमामंडन को रोकने के लिए सती को प्रचारित करना या बढ़ावा देना, चाहे वह साहित्य, कला या अन्य माध्यमों से हो, स्पष्ट रूप से निषिद्ध है।

इसके अलावा, अधिनियम संभावित पीड़ितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपाय पेश करता जिसमें किसी विधवा को सती होने के लिए मजबूर किये जाने की संभावना हो, तो जिला मजिस्ट्रेट उसकी सुरक्षा के लिए उपाय करने के लिए अधिकृत है। सती में सहायता करने या इसमें भाग लेने का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को परिस्थितियों और अपराध में उनकी भूमिका के आधार पर विभिन्न अवधि के लिए कारावास का सामना करना पड़ सकता है। अधिनियम केवल दंडात्मक उपायों पर ध्यान केंद्रित नहीं करता है; इसमें उन विधवाओं के पुनर्वास को भी ध्यान में रखा गया है जो इस प्रथा से प्रभावित हुई होंगी। यह विधवाओं और उनके बच्चों के

लिए घरों की स्थापना की अनुमति देता है, जिससे उनकी भलाई और शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित होती है। भारत में आखिरी बार सतीघटना, जिसमें एक 65 वर्षीय महिला शामिल थी, 2002 में मध्यप्रदेश में हुई थी। सब से हाई-प्रोफाइल सती घटना 1987 में राजस्थान में हुई थी जब 18 वर्षीय रूपकंवर को जला कर मार दिया गया था।

श्रीमती ममता मीणा
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
रेलमगरा

.....

23. महिलाओं का अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम , 1986 -

हमारी आजादी के बाद 60 से ज्यादा वर्षो के दौरान हमने महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव पर ध्यान देकर उन्हें संसाधन सुलभ करवाकर और अधिकारों के प्रति उनमें जागरूकता फैलाकर महिला सशक्तीकरण के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। किंतु विज्ञान के क्षेत्र में उक्त अवधि में हुए नवीन आविष्कारों के परिणामस्वरूप कई दुष्प्रभाव भी सामने आये है। वर्तमान में किसी उत्पाद को प्रमोट करने के उद्देश्य से महिलाओं के चित्र अथवा विडियों के माध्यम से प्रचलन प्रभाव में है किंतु ऐसे चित्र अथवा विडियों से उसकी लज्जा/शालीनता भंग होती है एवं इसी सोच को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1986 में स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम लागू किया गया है अर्थात्विज्ञापन, प्रकाशन, लेखन, चित्रों, आंकडों या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व पर रोक लगाने के उद्देश्य से संसद द्वारा इस अधिनियम को लागू किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मीडिया में महिलाओं का रूपण अपमानजनक न हो। स्त्री के अशिष्ट रूपण से तात्पर्य यह है कि किसी स्त्री की तस्वीर/विडियो क्लिप को इस रूप में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना जिससे उसकी लज्जा/शालीनता भंग हो।

किसी स्त्री को या उसके शरीर के किसी भी भाग को ऐसी रीति से वर्णन करना जो उसके अशिष्ट होने को, कलंकित चरित्र का भाव प्रकट करे। इस प्रकार किसी स्त्री का ऐसा चित्रण करना जिससे- (1) उसकी लज्जा भंग हो सकती हो, या (2) जनसाधारण के नैतिक चरित्र पर प्रतिकूल पडता हो, या (3) किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर अथवा उसके किसी भाग का इस प्रकार से वर्णन या चित्रण करना जिससे उसका चरित्र कलंकित हो तथा जिससे दुराचार, भ्रष्टाचार या लोक अप्रदुषण अथवा नैतिकता की हानि होने की संभावना हो, अश्लील चित्रण की परिधि में आयेगा।

स्त्री के विरूद्ध इस प्रकार के कृत्य की शिकायत वह महिला स्वय अथवा माता पिता या अन्य रिश्तेदार या सरकार द्वारा मान्य समाजसेवी संस्था के माध्यम से नजदीकी पुलिस स्टेशन, जिला न्यायालय, उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास से शिकायत दर्ज करवा सकती है। इसके अतिरिक्त वह महिला तहसील/जिला/राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निःशुल्क परामर्श/विधिक सहायता प्राप्त कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 3 ऐसे विज्ञापन जिसमें नारी का किसी भी रूप में अशिष्ट प्रदर्शन होता हो, पर रोक लगाती है तथा

धारा 4 पुस्तकें, फिल्मों, रेखाचित्रों, रंगचित्रों में नारी के अशिष्ट रूपण को प्रतिबंधित करती है।

इस अधिनियम के तहत ऐसी शिकायत पर किसी व्यक्ति के दोषसिद्ध पाये जाने पर ऐसे अपराधी के प्रथम बार अपराध करने पर 02 वर्ष तक की अवधि का कारावास तथा 02 हजार रूपये के जुर्माने से एवं ऐसे अपराध की पुनरावृत्ति पर न्यूनतम 06 माह से 05 वर्ष तक का कारवास तथा न्यूनतम 10,000/- रूपये से 01 लाख रूपये तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।

सरफराज नवाज
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कुंभलगढ़

.....

24. बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम -

प्रस्तावना एवं उद्देश्य - भारतीय संस्कृति में सोलह संस्कारों में विवाह संस्कार का विशेष महत्व है। समाज में कुछ बुराइयां स्वतः पनप जाती है। बाल विवाह भी ऐसी ही बुराई है। कम उम्र में विवाह से लड़के और लड़कियों दोनों पर शारीरिक ,बौद्विक, मनौवैज्ञानिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ता है, शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और व्यक्त्वि का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता है। हालांकि बाल विवाह से लड़के भी प्रभावित होते हैं लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा जिससे लड़कियां बड़ी संख्या में प्रभावित होती है। वतर्मान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 लागू है। इस अधिनियम का उद्देश्य ऐसे विवाह को रोकना है जहां लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के महत्वपूर्ण प्रावाधान -

बाल विवाह से ऐसा विवाह अभिप्रेत है जिसके बंधन में आने वाले दोनों पक्षकारों में से यदि लड़का है तो 21 वर्ष और यदि लड़की है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। ऐसा विवाह शून्यकरणीय होता है चाहे वह इस अधिनियम के लागू होने से पहले अथवा बाद में संपन्न हुआ हो। बाल विवाह के बंधन में आने वाले एवं बाल विवाह से उत्पन्न संतान भरण पोषण प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

बाल विवाह में शामिल होने व्यक्तियो को सजा -

इस अधिनियम की धारा 9 के तहत कोई 18 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष वयस्क होते हुए, बाल विवाह करेगा, इस अधिनियम की धारा 10 के तहत जो कोई भी व्यक्ति किसी बाल-विवाह को संपन्न करेगा, संचालित करेगा, या निर्दिष्ट करेगा या दुष्प्रेरित करेगा, धारा11 में बाल विवाह करवाने वाले माता–पिता, रिश्तेदार, संरक्षक, संगठन व अन्य व्यक्ति ऐसे बाल विवाह को बढ़ावा देने उसमें सम्मिलित होने वाले व्यक्ति दो वर्ष तक के कठोर कारावास या एक लाख रूपये तक के जुर्माने से अथवा दोनों से दण्डित किये जा सकते हैं। ऐसे अपराध संज्ञेय व अजमानती हैं।

बाल विवाह में शामिल होने वाले, करवाने वाले एवं प्रोत्साहित करने वाले अभिभावक, लड़के और लड़की के माता पिता, बाराती, शादी में शामिल रिश्तेदार, ऐसे विवाह को संरक्षण देने वाले जातिपंच या मुखिया, पण्डित/पादरी/मौलवी, ढोलक वाले, नाई वाले,टेन्ट वाले बैण्ड वाले,

फोटाग्राफर, हलवाई, विवाह करवाने वाले बिचौलिये और विवाह के लिये किसी भी प्रकार की सेवायें देने वाले, सभी को सजा का प्रावधान है। (अधिनियम की धारा 10 और 11 के तहत)

बाल विवाह को अकृत करने घोषित करने के लिए जिला न्यायालय में अर्जी दी जाएगी तथा बाल विवाह रूकवाने के लिए प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट को निषेधाज्ञा जारी करने हेतु आवेदन किया जा सकता है।

बाल विवाह की सूचना/शिकायत -

कोई भी व्यक्ति जिसे बाल विवाह तय होने, अनुष्ठान होने अथवा बाल विवाह सम्पन्न होने की जानकारी है वह उसकी शिकायत हेल्पलाईन नम्बर 1098,1090,100 पर कर सकता है अथवा बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, नजदीकी पुलिस थाने, न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा महानगर मजिस्ट्रेट को कर सकता है।

विजय टांक
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
आमेट

.....

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत निःशुल्क विधिक सहायता -

मुफ्त कानूनी सहायता कौन प्राप्त कर सकता है ?

1. अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो,
2. महिला या बालक हो,
3. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपंग हो,
4. आपदाग्रस्त व्यक्ति हो,
5. औद्योगिक श्रमिक हो,
6. बन्दी हो या
7. गरीब व्यक्ति, जिसकी वार्षिक आय 03 लाख रूपये से कम हो ।

मुफ्त कानूनी सहायता क्या है ?

किसी भी राजस्व, दीवानी या फौजदारी न्यायालय में केस लम्बित हो, उसमें वकील उक्त समिति द्वारा नियुक्त किया जावेगा तथा वकील की फीस उक्त समिति नियमानुसार अदा करेगी

निःशुल्क कानूनी सहायता किस प्रकार प्राप्त करें ?

निर्धारित प्रारूप में फार्म भरकर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भिजवायें या सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करें

.....

हेल्पलाइन नम्बर

नालसा हेल्पलाइन नंबर 15100, रालसा हेल्पलाइन नंबर 9928900900

अजमेर : 8306002101	अलवर : 8306002102
बालोतरा : 8306002103	बांसवाड़ा : 8306002104
बारां : 8306002105	भरतपुर : 8306002106
भीलवाड़ा : 8306002107	बीकानेर : 8306002108
बूंदी : 8306002109	चूरू : 8306002110
चित्तौड़गढ़ : 8306002112	दौसा : 8306002114
धौलपुर : 8306002115	डूंगरपुर : 8306002116
हनुमानगढ़ : 8306002118	जयपुर मेट्रो I : 8306002119
जयपुर मेट्रो II : 8306002220	जयपुर जिला : 8306002120
जैसलमेर : 8306002123	जालोर : 8306002126
झालावाड़ : 8306002127	झुंझुनूं : 8306002128
जोधपुर मेट्रो : 8306002021	जोधपुर जिला : 8306002129
करौली : 8306002130	कोटा : 8306002131
मेड़ता सिटी : 8306002132	पाली : 8306002166
प्रतापगढ़ : 8306002134	राजसमन्द : 8306002135
सवाई माधोपुर : 8306002136	सीकर : 8306002137
सिरोही : 8306002138	श्री गंगानगर : 8306002117
टोंक : 8306002139	उदयपुर : 8306002022

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द

फोन : 02952-294498 । हेल्पलाइन नं. 8306002135

ई-मेल : dlsa30rajsmand@gmail.com

VISIT US ON: DLSA RAJSAMAND

पोक्सो हैल्पलाइन : 9868235077
बालकों का यौन दुर्व्यवहार से संरक्षण (पोक्सो अधिनियम, 2012)
बालकों के साथ यौन दुर्व्यवहार के कुछ लक्षण
महत्वपूर्ण :
यौन दुर्व्यवहार की सूचना देने वाले बालक को सुनें
बच्चे में विश्वास प्रकट करें
बच्चे को बताएं कि वह बहादुर है
दोषी ना ठहराएं अपितु पीड़ित की तरह व्यवहार करें
क्या करें
बाल पीडितों के प्रति सहयोगी रवैया अपनाएं
जब बालक किसी व्यक्ति अथवा घटना अथवा शारीरिक असुविधा के बारे में शिकायत करें तो उसे धैर्यपूर्वक सुने
बच्चे के करीबी लोगों को अपनी बात बताए
CHILD LINE 1098
चाईल्ड लाईन नं. 1098 पर कॉल करें
सुनिश्चित करें कि घटना की सूचना के तुरन्त बाद बालक का चिकित्सकीय परीक्षण हो जावें
नजदीकी पुलिस थाने में दुर्व्यवहार की घटना की रिपोर्ट करें
बच्चे से घटना अथवा उससे संबंधित विवरण की चर्चा करते समय संवेदनशील रहे
क्या नहीं करें
बाल पीडितों के प्रति असहयोगी रवैया नहीं रखे
बच्चे पर दोष लगाना /दोषारोपण
बच्चा जब किसी व्यक्ति अथवा घटना या शारीरिक असुविधा की शिकायत करता है तो उसे नजर अंदाज करना
घटना बताए जाने पर चरम प्रतिक्रिया देना
बालक को उसी व्यक्ति/स्थान पर भेजना जहां दुर्व्यवहार की घटना हुई है
बालक को दूसरों की सहायता लेने से मना करना
बालक की पहचान अन्य लोगों अथवा मीडिया के समक्ष उजागर करना
बालक को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं करना
दुर्व्यवहार की जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं करना
पुलिस में घटना की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराना
हेल्पलाईन : 9928900900/15100
न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजसमन्द
फोन : 02952-294498 । हेल्पलाइन नं. 8306002135
ई-मेल : dlsa30rajsmand@gmail.com
VISIT US ON: DLSA Rajsamand